

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद/ अपीलवाद
विविधवाद/ प्रथम अपील

संख्या.....०७.....



वर्ष 2024.....

बनाम

अपीलकर्ता सौ० अरुण अंसारी एवं
अन्य, ग्राण्ट-मण्डारीडीह,
प्र०-बेगावादा, जिला-गिरिडीह।
प्रतिवादी जिला आयुक्ति पदा, गिरिडीह।

वाद प्रांश की तिथि
26/02/2024.

| आदेश की तिथि | हस्ताक्षरयुक्त आदेश | कार्यालय अभ्युक्ति |
|--------------|---------------------|--------------------|
| | | |

| आदेश की तिथि | हस्ताक्षरयुक्त आदेश | कार्यालय अभ्युक्ति |
|--------------|---|--------------------|
| | <p style="text-align: center;">वाद सं0-07 / 2024</p> <p>अपीलकर्ता मो0 अख्तर अंसारी एवं अन्य, ग्राम पंचायत-भण्डारीडीह, प्रखण्ड-बेंगाबाद, जिला-गिरिडीह का अपील आवेदन आयोग को प्राप्त हुआ है।</p> <p>अपीलकर्ता द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेता श्री लखन लाल, अनु0 सं0-16/85 के विरुद्ध माह अगस्त एवं सितम्बर 2023 का राशन नहीं दिये जाने का आरोप लगाया गया है। अपीलकर्तागण का आरोप है कि इसकी शिकायत उनके द्वारा आयोग के व्हाटसएप्प के माध्यम से की गई थी जिसके आलोक में आयोग के पत्रांक-WA/624/2023 दिनांक-11.01.2023 द्वारा DGRO, गिरिडीह से 30 दिनों के अन्दर कार्रवाई का निर्देश दिया गया था परन्तु इसपर कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई नहीं होने के कारण माह जनवरी 2024 का राशन भी लाभुकों को नहीं दिया जा रहा है। यह भी कि डीलर द्वारा जनवरी 2024 में चना दाल वितरण हेतु कई लाभुकों को गुमराह कर दो बार अंगूठा लगवा लिया गया है। अपीलकर्ता द्वारा माह अगस्त 2023, सितम्बर 2023 एवं जनवरी 2024 का राशन दिलाने हेतु अनुरोध किया गया है।</p> <p>प्राप्त परिवाद पत्र पर आयोग स्तर से सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक-11.03.2024 को निर्धारित की जाती है।</p> <p>प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह को प्रतिवादी बनाया जाय। प्राप्त परिवाद-पत्र की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह को सशरीर आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें।</p> <p style="text-align: center;">दिनांक-11.03.2024 को अपराहन 12:00 बजे रखें।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"><div style="text-align: center;"><p>(शबनम परवीन) सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।</p></div><div style="text-align: center;"><p>(हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।</p></div></div> | |

आदेश की
तिथि

हस्ताक्षरयुक्त आदेश

कार्यालय
अभ्युक्ति


11.03.2024

वाद सं०-07 / 2024

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से अपीलकर्ता मो० अख्तर अंसारी एवं अन्य ग्राम+पं०-भण्डारीडीह, प्रखण्ड-बेंगाबाद, जिला-गिरिडीह Telephonic Conference के माध्यम से उपस्थित।


जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा दूरभाष पर बताया गया कि यातायात से संबंधित समस्याओं के कारण सुनवाई में उपस्थित होने में विलंब होगा। इस बीच दूरभाष पर शिकायतकर्ता से सम्पर्क करने पर शिकायतकर्ता ने बताया उन्हें आयोग में शिकायत दर्ज कराने के बाद राशन उपलब्ध करा दिये जाने के प्रति अश्वस्त किया गया है। शिकायतकर्ता ने आयोग से आग्रह किया उन्हें उम्मीद है कि उन्हें दिया गया अश्वासन पूरा कर दिया जायेगा। अतः इस वाद को निष्पादित कर दिया जाय। आयोग शिकायतकर्ता के आग्रह पर इस वाद को निष्पादित करता है।

आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें।



(शबनम परवीन)

सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।



(हिमांशु शेखर चौधरी)

अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।